COVER 1

यह गाँव मेरा भी है

भगाना में दलित दावेदारी, भूमि अधिकार और सामाजिक बहिष्कार

ऐसोसिएशन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (एएफडीआर), पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स दिल्ली (पीयूडीआर) की साझा रपट

दिसम्बर 2012

विषय वस्तु

प्रस्तावना **ग**

सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भः ग

1. जनसंख्या और जाति विभाजन ग
2. भूमि और श्रम ग
3. आम ज़मीनों और अन्य संसाधनों तक पहुँच ग
4. शिक्षा और वैकल्पिक व्यवसाय ग

विरोध की उत्पत्ति : मुख्य मुद्देः ग

1. ज़मींदार के लिए ज़मीनः अनाधिकृत विनियोग और शामलात ज़मीन का वितरण ग
2. भूमिहीन को ज़मीनः महात्मा गाँधी ग्रामीण बस्ती योजना ग
3. ज़मीन और सामाजिक स्थल ग

बहिष्कार और पलायन : प्रतिरोध, दावेदारी और विवाद **ग**

1. बहिष्कार ग
2. दलितों का जवाब और प्रति दावेदारी : निष्क्रमण और विरोध ग
3. सामाजिक प्रतिक्रिया ग

राज्य की भूमिका और कानून का शासन **ग**

निष्कर्ष और माँग **ब**

बॉक्स की सूचीः ग

1. हरयिाणा में जाति विभाजन ब
2. शामलात देह की ज़मीनं ग
3. हरियाणा में जातिविवादों की हाल की घटना4
4. एएससी–एसटी प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रॉसिटीस एक्ट, 1989 के तहत सज़ा
5. पुलिस अधीक्षक : अनिल धवन से मुलाकात ग

प्रस्तावना

23 मई 2012 को हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गाँव के 70 दलित परिवारों ने, मवेशियों समेत अपना गाँव छोड़ कर, हिसार शहर में स्थित मिनी सचिवालय के बाहर अपना डेरा जमा लिया। समाचारों के मुताबिक वे अपने गाँव के जाटों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न और ज़मीन पर कब्ज़े का विरोध कर रहे थे। जाटों ने पानी के स्रोतों, गाँव की आम ज़मीन और मरे हुए जानवरों को गाढ़ने के लिए उपलब्ध ज़मीन तक दलितों की पहुँच को रोक दिया था। दलितों ने प्रशासन के पास कई शिकायतें दर्ज कीं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला और उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ती गयीं। परिणामस्वरूप उन्हें इस प्रकार के ठोस कदम उठाने पड़े। मिनी सचिवालय के समक्ष आयोजित धरने के दौरान कई बैठकें हुईं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कि दलितों की शिकायतों के आधार पर कोई एफआईआर (प्रथम सूचना रपट) भी दर्ज़ नहीं की गई। राज्य प्रशासन ने पहले समझौता कराने की कोशिश की और फिर आन्दोलनकारियों के खिलाफ कानूनों का इस्तेमाल किया। बात काफी आगे बढ़ गयी, जब 18 जून 2012 को 45 आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 6 पर देशद्रोह के आरोप लगाये गये (हालाँकि बाद में इन आरोपों को हटा लिया गया)।

दलितों के बहिष्कार के आरोप के बारे में जाटों का यह कहना था कि कुछ व्यक्तियों के बीच गलतफहमियाँ थीं, जिन्हें गाँव के अन्दर ही दूर किया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि वे दलित 'भाइयों' के साथ स्नेहभाव से रहते थे।

एक ऐसे सन्दर्भ में, जहाँ हरियाणा जाति उत्पीड़न का पर्याय बन गया है, भगाना में ऐसा क्या हुआ कि वह इतना महत्वपूर्ण बन गया? आमतौर पर होने वाली हिंसात्मक और अमानवीय बर्बरता की घटनाओं से परे भगाना में भेदभाव के अनेकों व्यक्तिगत मामले और जाति उत्पीड़न की सैकड़ों छोटी बड़ी घटनाएं दलितों के बहिष्कार का .प्रतिरूप हैं। ये घटनाएं हरियाणा के दलितों के रोज़मर्रा के शोषण का हिस्सा हैं, जो कि हरियाणा में जाति व्यवस्था की वास्तविकता को स्थापित करती है। जिन्हें आज तक संसाधनों के गैर–बराबर स्वामित्व और नियंत्रण की वजह से चुनौती नहीं मिली है।

दिल्ली में धरना के रूप में भगाना की दलितों का प्रदर्शन, उनके प्रतिरोध का उदाहरण था। यह प्रदर्शन न केवल नागरिकों के रूप में समान अधिकारों की दावेदारी का प्रतीक था, बल्कि इसके माध्यम से जाट प्रभुत्व और जनवादी अधिकारों को सुनिश्चित करने का दावा करने वाले राज्य को भी चुनौती दी गयी थी।

इस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए हमने तथ्यों को जानना और समझना ज़रूरी समझा। इसी सन्दर्भ में पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पीयूडीआर), दिल्ली और एसोसिएशन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (एएफडीआर), पंजाब ने 21 जून 2012 को इस मामले की एक संयुक्त जांच की। हमारे साथ हिसार के एक स्थानीय निवासी भी शामिल थे। हमारी टीम ने मिनी सचिवालय और पुलिस अधीक्षक के समक्ष धरना पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। हम ने भगाना गाँव का दौरा किया, जहाँ दलित और जाट समुदायों के पुरुषों व स्त्रियों और गाँव के सरपंच से बातचीत की।

हमारी जांच की रपट आगे दी गई है :

सामाजिक – आर्थिक संदर्भ

भगाना गाँव हिसार –1 मंडल में स्थित है, जो पश्चिमी हरियाणा के हिसार जिले का हिस्सा है। सबसे नज़दीकी शहर हान्सी है, जो 13 किलोमीटर दूर है। हिसार के मानकों के मुताबिक भगाना एक मध्यम आकार का गाँव है। 2001 की जनगणना के मुताबिक वहाँ की ज़मीन का कुल क्षेत्र 1635 हेक्टेयर है, जिसमें से 1329 हेक्टेयर सिंचित, 149 हेक्टेयर असिंचित ज़मीन है और 157 हेक्टेयर ज़मीन खेती के लिए उपलब्ध नहीं है।

स्थानीय स्रोतों के मुताबिक यह गाँव करीब 300 साल पुराना है। उत्तर भारत के अधिकांश अन्य गाँवों की तरह भगाना का विन्यास भी बदलते हुए सामाजिक सम्बन्धों और इतिहास की ओर संकेत करता है। अधिकांश अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के घर गाँव के बाहरी हिस्से में पड़ते हैं, जबकि जाटों के घर केन्द्र में स्थित हैं। परन्तु इस गाँव में दोनों समुदायों के घर उतने अलग अलग स्थित नहीं हैं जितना कि उत्तर भारत के अधिकांश गाँवों में होते हैं। जबकि कई गलियाँ ऐसी हैं, जिनमें एक खास जाति के लोगों के ही घर है पर गाँव के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ विभिन्न जातियों के लोग रह रहे हैं।

गाँव के बीचों बीच दलितों के कम से कम तीन घर हैं, जिनका पीछे का हिस्सा जाटों के घर से मिलता है। हालाँकि इन घरों के दरवाज़े एक चौक में नहीं खुलते हैं, दलितों के घर चमार चौक के सामने हैं। इनमें से एक घर नया बनाया गया था। उसी क्षेत्र में हमें दो चौपालें देखने को मिलीं – एक रविदास चौपाल, जहाँ दलित इकट्ठा होते हैं और दूसरी जाट चौपाल। एक दूसरी गली में जाटों और पिछड़ी जातियों के घर एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये सभी घर नए बने हुए थे, जिन से यह पता चलता है कि गाँव के विस्तार के बाद यह नया हिस्सा अस्तित्व में आया है। गाँव के केन्द्र में बड़े व पुराने घर थे, जिनके दरवाज़े अलंकृत और मेहराब नक्काशी किये हुए थे। ये उत्तराधिकार प्राप्त वैभव व शक्ति के सबूत थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये घर जाटों के थे। इनके घर काफी बड़े – बड़े थे, लेकिन उनको हाल ही में नया रूप दिया गया था, जैसे कि अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी और बड़े जाट भूस्वामी फूलचन्द का मकान। आम तौर पर जाटों के घर बड़े और पक्के हैं। कुछ दलितों के घर भी अच्छे हैं,उदाहरण स्वरूप एक दलित स्कूल शिक्षक का घर भी पक्का और बड़ा हैं। लेकिन ज़्यादातर दलितों के घर अर्ध–पक्के हैं।

भगाना के निवासियों और गाँव के सामाजिक सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में जाँच दल द्वारा हासिल किए गए तथ्यों का विवरण आगे दिया गया है।

1. जनसंख्या और जाति विभाजन

हिसार हरियाणा की चौथी सर्वाधिक आबादी वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या 15,36,417 है। हिसार की सम्पूर्ण

बॉक्स 1 हरियाणा में जाति विभाजन

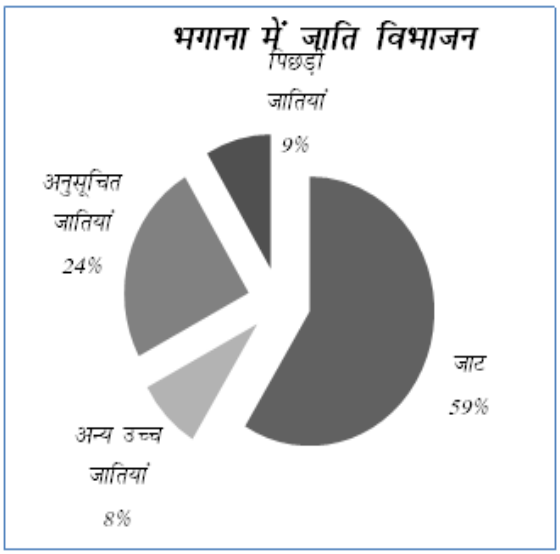

आबादी में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 21.99 प्रतिशत (लगभग 3,38,045) है, जो राज्य की सम्पूर्ण आबादी में अनुसूचित जातियों के औसत 19.1 प्रतिशत से अधिक है। हिसार में सबसे तीन बड़ी अनुसूचित जातियों के कुल लगभग 2,86,955 लोग निवास करते हैं (चमार 1,58,860, धानक 73,850 और बाल्मीकि 54,245।

2001 की जनगणना के मुताबिक भगाना में 878 परिवार रहते थे, जिनकी कुल आबादी 4,884 थी। इनमें से 1,322 लोग अनुसूचित जातियों के थे, यानी गाँव की कुल आबादी के करीब 27 प्रतिशत। गाँव के सरपंच द्वारा दी गयी सूचना के मुताबिक आज 11 साल बाद इस गाँव में करीब 950 परिवार निवास कर रहे हैं और कुल जनसंख्या बढ़कर करीब 7,000 (2001 की जनगणना के मुताबिक प्रति परिवार औसतन 6 लोग) की हो गयी है। सबसे बड़ा प्रतिशत जाटों का है, इसके बाद ऊँची जातियों में ब्राह्मणों और बनियों का नम्बर आता है और फिर कुछ पंजाबी परिवारों का। दलितों के बीच चमारों की संख्या सर्वाधिक है और इसके बाद धानकों का स्थान है। इस गाँव में खाटी, डोमा, बाल्मीकि और बैगा जैसी दलित जातियाँ भी रहती हैं। पिछड़ी जातियों में चिम्बी, तेली, लोहार, गोस्वामी और कुम्हार शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा समूह कुम्हारों का है। सरपंच द्वारा दिये गये आँकड़ों के आधार पर ऐसा लगता है कि भगाना में जाटों और ऊँची जातियों की सम्मिलित जनसंख्या करीब 67 प्रतिशत है, जिनमें करीब 85 प्रतिशत जाट हैं। दलितों की आबादी गाँव की जनसंख्या का करीब 24 प्रतिशत है। बाकी पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो गाँव की आबादी का करीब 9 प्रतिशत हैं।

2. ज़मीन और श्रम

भगाना के सरपंच के अनुसार गाँव की कुल ज़मीन करीब 4,400 एकड़ है जिसमें खेती योग्य ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिस पर खेती नहीं होती और आम ;बवउउवदद्ध ज़मीन शामिल है। इस ज़मीन में से 400 एकड़ ज़मीन पंचायत की है जिसमें 280 एकड़ शामलात ज़मीन शामिल है। शामलात ज़मीन (आगे के अनुच्छेद में पारिभाषित) में सार्वजनिक कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन, बेकार ज़मीन और ज़मीन के कुछ छोटे हिस्से जैसे कि रिहायिशी इलाके शामिल हैं।

गाँव में सबसे बड़ी जोत 45 एकड़ की है और सबसे छोटी 1.5 एकड़ से भी कम की। ज़्यादातर परिवारों के पास 3–4 एकड़ ज़मीन है। सारे दलित और बहुत से पिछड़ी जातियों के परिवार भूमिहीन हैं। जाट अधिक बड़ी जोत की मिलिकियत रखते हैं, पर उनमें भी वर्ग असमानता है। कुछ जाट ऐसे भी हैं जिनके पास 1–1.5 एकड़ से कम ज़मीन है और वे अपनी ज़मीन पर खेती के अलावा औरों की ज़मीन पर काम करते हैं।

भगाना के ज़्यादातर दलित कृषि मज़दूर हैं। वे जाटों और अन्य ऊँची जातियों के ज़मीनदारों के यहाँ मजदूरी करते हैं। फसल के बटवारे के तरीके हरियाणा में अलग अलग जगहों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के हैं। हमें बताया गया कि यहाँ दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग पट्टे ;समेंमद्ध या बटाई पर ज़मीन लेते हैं। भगाना में इस व्यवस्था में बटाईदार ज़मीन पर खेती करता है और ज़मीनदार को फसल का दो तिहाई भाग और बटाईदार को एक तिहाई भाग मिलता है। खेती की लागत – बीज, खाद आदि का खर्चा बटाईदार को उठाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें अक्सर ज़मीनदार से ब्याज पर कर्ज़ लेना पड़ता है।

जिन दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों से हम मिले उन्होंने हमें बताया कि भगाना में ज़्यादातर दलित सीरी व्यवस्था में काम करते हैं। सीरी व्यवस्था में ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से असमानताएं रही हैं, भगाना में यह बंधे हुए श्रम का एक रूप है, जिसमें कृषि मज़दूर एक साल के लिए किसी ज़मीनदार के साथ समझौता करता है। इस समझौते के तहत उसे एक बार में कुछ तयशुदा राशि दी जाती है, जिसके एवज में उसे इस समय में इसी ज़मीनदार की ज़मीन पर बंध कर काम करना होता है और कई बार ज़मीनदार के लिए खेती के अलावा और काम भी करने पड़ते हैं। ये कृषि मज़दूर आम तौर पर भूमिहीन दलित और अन्य पिछड़ी जातियों में से होते हैं और ज़मीनदार ज़्यादातर जाट या अन्य ऊँची जातियों जैसे कि राजपूतों में से होते हैं। भगाना में इन बंधे हुए श्रमिकों को सालाना 20,000 से 25,000 रु. दिए जाते हैं। उसे उत्पादन की लागत के लिए कुछ राशि का योगदान करना पड़ता है, जिसके बदले में उसे उत्पादन में से थोड़ा सा हिस्सा मिलता है।

बॉक्स 2 : शामलात देह ज़मीन

'शामलात देह' ज़मीन गाँव की आम ज़मीन होती है जिसका इस्तेमाल केवल समुदाय के लाभ के लिए किया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। पंजाब विलेज कॉमन लैंडस (रेग्युलेशन) एक्ट 1961 में 'शामलात देह' को विस्तार से पारिभाषित किया गया है। 'शामलात देह' ज़मीन में ग्रामीण समुदाय के फायदे के लिए जैसे कि सड़कें, गलियाँ, खेल के मैदान, स्कूल, पीने के पानी के कूएँ या तालाब के लिए ज़मीन शामिल होती है। इसमें जंगल, पहाड़, चराई के मैदान, नदियाँ और नाले की ज़मीन भी शामिल होती है। यह अधिनियम हरियाणा सरकार द्वारा 1966 में अपनाया गया था।

इस ज़मीन का नियंत्रण आधिकारिक रूप से ग्राम पंचायत के हाथ में होता है। शामलात ज़मीन का बेचा जाना या बंटवारा या वितरण केवल विशिष्ट परिस्थितियों में सरकार की सहमति द्वारा ही संभव होता है। पंचायत को सामुदायिक विकास के कामों के लिए और उससे आय हासिल करने के लिए इस ज़मीन को लीज़ पर देने का अधिकार होता है। 1961 के अधिनियम में 26 ऐसे कामों की सूची है – ये काम हैं खेत, अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक शौचालय, पंचायत भवन, ईंट के भट्टे, तालाब, मछली पालन केन्द्र, खाद के लिए गड्ढे, चराई के मैदान, शमशान घाट या कब्रिस्तान, खेल के मैदान, बेघरों के लिए घर आदि, जो भी पंचायत को ठीक लगें और जिसके लिए सरकार अनुमति दे। हरियाणा सरकार की विकास और पंचायत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार शामलात ज़मीन ग्राम पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत होती है। 2008–09 के दौरान राज्य में ग्राम पंचायतों के पास 8,27,015 एकड़ शामलात ज़मीन थी, जिसमें से 22 प्रतिशत खेती के योग्य थी।

सरपंच से हमें पता चला कि गाँव में जितनी ज़मीन उपलब्ध है उसमें से पंचायत की 65 एकड़ ज़मीन की हर साल खेती के लिए नीलामी की जाती है। इसमें से 40 एकड़ ज़मीन सिंचित है और 25 एकड़ असिंचित। वैसे तो इस नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को ज़मीन दी जाती है पर सरकारी नीति के अनुसर प्रत्येक 10वां या 12वां प्लॉट दलितों के लिए रखा जाता है। पर असल में होता यह है कि दलित दावेदार किसी जाट के लिए एक मुखौटे के रूप में काम करता है जो असल में ज़मीन हासिल करता है। मज़ेदार बात यह है कि सरपंच ने खुद यह जानकारी दी, जैसे कि यह एक स्वाभाविक आम प्रक्रिया हो जिसे पूर्ण स्वीकृति मिली हुई हो।

भूमिहीनता और ज़मीनदारों पर निर्भरता ने ज़मीनदारों

और कृषि मज़दूरों के बीच संरक्षक और संरक्षित का संबंध बना दिया है जो कि जातिवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। परन्तु बहुत से दलितों और पिछड़ी जातियों के लोगों ने मौजूदा श्रम और फसल बंटाई की व्यवस्था को लेकर अपनी असंतुष्टी और गुस्सा ज़ाहिर किया। उन्होंने ज़मीनदारों द्वारा शोषण और इस व्यवस्था से पैदा होने वाली उनकी कर्ज़दारी की स्थिति की आलोचना की।

जिन दलित कृषि मज़दूरों से हम मिले, उन्होंने बताया कि उन्हें दिहाड़ी में 250–300 रु. और खाना मिलता है। हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनामिक्स और स्टेटेस्टिकल एनालिसिस द्वारा 2008–2009 में (हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवंडी) में किए गए एक अध्ययन के अनुसार उस समय पश्चिमी हरियाणा में औसतन दिहाड़ी 136 रु. और मध्य हरियाणा में सबसे अधिक 143 रु. थी। भगाना में मौजूदा दिहाड़ी इसकी लगभग दुगनी है। हमें बताया गया कि इस बढ़ोतरी का कारण नरेगा का आना है।

सरपंच ने दावा किया कि गाँव में नरेगा के तहत काम चलता है। इस योजना के तहत 3.7 लाख रु. आबंटित हो चुके हैं और गाँव को मिल चुके हैं। इस राशि का इस्तेमाल सड़क निर्माण, नहरें खोदने और गहरी करने और तालाब आदि बनाने के लिए किया गया। मज़दूरों को 190–192 रु. की दिहाड़ी दी गई। परन्तु दलित कुछ और ही कहानी बताते हैं। नरेगा के तहत काम 12–18 महीनों पहले ही खतम हो गया था, जिससे उनके लिए जीविका का एक वैकल्पिक साधन खतम हो गया और जाटों पर उनकी निर्भरता बढ़ गई। दलितों ने यह भी शिकायत की कि ज़्यादातर काम मशीनों की मदद से किया गया। और नरेगा के तहत आबंटित पैसा जाटों द्वारा अपने काम पर रखे हुए कृषि मज़दूरों को मज़दूरी के रूप में बाँटा गया।

3. आम (common) ज़मीन और अन्य संसाधनों तक पहुँच

गाँव में 280 एकड़ शामलात ज़मीन है। इसमें से 220 एकड़ ज़मीन कृषि के योग्य नहीं है और पंचायत के पास है, जिसका इस्तेमाल पंचायत स्कूल, चिकित्सालय, कूएँ इत्यादी बनाने जैसे सामाजिक कामों के लिए कर सकती है। 70 एकड़ ज़मीन सभी गाँव वालों को कई तरह के कामों के लिए उपलब्ध है। जैसे कि हमने भगाना के एक भाग में ऐसी ज़मीन पर गोबर, गोबर के उपलों और इकट्ठी की गई जलावन की लकड़ी के ढेर पड़े देखे। इस ज़मीन का इस्तेमाल ईंधन इकट्ठा करने, मवेशियों को चराने और मरे हुए मवेशियों को किनारे पर दफनाने के लिए भी किया जाता है। गाँव के एक रिहायिशी इलाके के साथ लगे शामलात ज़मीन के एक भाग पर कुछ आधे पक्के घर भी दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि हरियाणा के गाँवों में बाद में आकर बसने वाले लोगों के लिए शामलात ज़मीन के बाहरी भागों पर घर बनाना एक आम प्रक्रिया है। परन्तु इस ज़मीन पर उनका कोई मालिकाना हक नहीं होता।

भगाना या अन्य गाँवों में सारी शामलात ज़मीन एक साथ नहीं होती। इसके अलावा जैसे जैसे गाँव बढ़ता गया, घर बनते गए, गलियाँ बनती गईं, शामलात ज़मीन के कुछ हिस्से इन घरों के बीच में आ गए। ऐसी ज़मीन के कारण घरों के बीच चौक भी बने हुए हैं। उदाहरण के लिए चमार चौक जिसका इस्तेमाल त्यौहारों और शादियों आदि के लिए मवेशियों और रथों को सजाने के लिए किया जाता है।

4. शिक्षा और वैकल्पिक व्यवसाय

हरियाणा में दलितों में साक्षरता के स्तर में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। 2001 की जनगणना में 1991 की तुलना में साक्षरता की दर में 16.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज़ की गई। भगाना में भी यही प्रवृति दिखाई दी है। अधिकतर दलित युवक साक्षर हैं और कुछ अंग्रेज़ी भी लिख लेते हैं। दलितों के बच्चों में शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। पिछले दस सालों में भगाना में दलित स्नातकों की संख्या भी बढ़ी है।

2001 की जनगणना के अनुसार भगाना में कुछ पाँच स्कूल थे जिनमें से तीन प्राथमिक स्कूल थे। हमें बताया गया कि आज यहाँ दो सरकारी और तीन निजी स्कूल हैं। दलित और पिछड़ी जाति के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और जाटों के बच्चे निजी स्कूलों में। इन निजी स्कूलों में से निकल कर जाट परिवारों के कुछ सदस्य बाहर शहरों में गए हैं और वहाँ उन्हें प्रशासन में नौकरियाँ मिली हैं या डॉक्टर या वकील बने हैं।

भगाना में दलितों और पिछड़ी जातियों में साक्षरता और शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी से उनकी नई पीढ़ियों ने भी खेती के अलावा अन्य व्यवसायों की ओर जाना शुरू कर दिया है। आरक्षण से भी इस प्रक्रिया को बल मिला है। भगाना में करीब 3–4 दलित स्कूलों में शिक्षक हैं (जिनमें से एक से हम मिले थे), 2 सेना में, 2 पुलिस में और 3 बैंक में काम करते हैं। गाँव के पिछले सरपंच दलित समुदाय में से थे, मौजूदा एक जाट हैं।

भगाना में दलित युवाओं की इस बढ़ती हुई जागरूकता और उनके द्वारा परंपरागत व्यवसायों से हट कर नए व्यवसायों में जाने की आकांक्षाओं ने उन्हें ऊँची जातियों के प्रभुत्व से टकराव में आगे ला कर खड़ा कर दिया है। हाल में हुआ विरोध इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

विरोध की शुरूआत : प्रमुख मुद्दे

आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भगाना के 70 दलित और पिछड़ी जातियों के परिवारों को अपने पशुओं और मवेशियों के साथ अपना गाँव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? एक बृहद संदर्भ में देखने पर प्रभावी जाट समुदाय द्वारा सालों साल से दलितों के दमन का चेहरा सामने आता है। इस संदर्भ में आखिर ऐसा क्या था जिसने दलितों द्वारा अपने इज्ज़त और बराबरी से जीने के अधिकार के लिए ज़ोर डालने को उकसाया? भगाना में एक के बाद एक हुई घटनाएं, जिन के कारण लोगों को अपना गाँव छोड़ना पड़ा इस प्रकार हैं :

1. ज़मीनदारों के लिए ज़मीन : शामलात ज़मीन का गैरकानूनी ढंग से हड़पा जाना और वितरण

टकराव का प्रमुख कारण था शामलात ज़मीन का इस्तेमाल, नियंत्रण और मिल्कियत, जिसमें ऐसी ज़मीन भी शामिल थी जो दलितों के सामाजिक जीवन का हिस्सा थी।

सन 2008 में हरियाणा में महात्मा गाँधी बस्ती विकास योजना के शुरूआत में ही सरकार ने 70 एकड़ शामलात ज़मीन कब्ज़े में ले ली थी। यह ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं थी और पंचायत के अधीन थी। हालांकि गाँव के सामाजिक संबंधों के चलते इस ज़मीन का इस्तेमाल मुख्य रूप से जाट लोग ही करते थे। शामलात ज़मीन का कुछ हिस्सा परंपरागत रूप से गाँव के सभी लोग कई एक गैरकृषि कार्यों के लिए करते थे। इस ज़मीन पर कोई औपचारिक सीमाएं नहीं बनी हुई हैं पर सालों साल के इस्तेमाल से मोटा मोटा बंटवारा हो रखा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ परिवारों के घर भी शामलात ज़मीन के किनारे पर बने हुए हैं।

हमें पता चला कि सन 2011 में गाँव में ज़मीन के वितरण के लिए एक समिति बनी थी। समिति में 21 सदस्य थे जिनमें से 6 दलित और पिछड़ी जातियों में से थे। इस समिति का ग्राम पंचायत से कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था, पर सभी बयानों से साफ है कि सरपंच ने इसे बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ग्राम पंचायत से इसके लिए स्वीकृति नहीं ली गई थी। पंचायत के एक जाट सदस्य के अनुसार उनमें से कई लोग समिति बनाए जाने के खिलाफ थे, पर वे विवश थे। इस गैर संवैधानिक समिति के प्रमुख एक समृद्ध जाट व्यक्ति फूलचंद थे, जिनका नाम दलितों ने अधिकारियों को की गई अपनी शिकायतों और याचिकाओं में दिया है। हमारा जाँच दल इस व्यक्ति से मिला था।

सरपंच और फूलचंद के अनुसार 'उन्होंने' औपचारिक रूप से ज़मीन के बंटवारे और मिल्कियत दिए जाने के बारे में सोचा ताकि परंपरागत इस्तेमाल के आधार पर बनी अस्थाई सीमाओं के कारण होने वाले रोज़ रोज़ के झगड़ों को रोका जा सके। सरपंच का दावा था कि इस तरह से वितरित होने वाली शामलात ज़मीन का इस्तेमाल केवल जानवरों को चराने, खिलाने पिलाने, गोबर के उपले बनाने, और ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने आदि के लिए होना था, और रहने या खेती के लिए नहीं होना था।

जाटों को अपनी पहले की ज़मीन की जोतों के आधार पर 100 वर्ग गज प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन मिलनी थी। भूमिहीन दलितों और पिछड़ी जातियों के लोगों को 100 वर्ग गज ज़मीन मिलनी थी, जिसके लिए उन में से हर एक से 1000 रु. देने को कहा गया था। ज़्यादातर ने यह राशि जमा करवा दी, कुछ ने काफी मुश्किलों से। उन्होंने उस ज़मीन को, जिसे वे परंपरागत रूप से इस्तेमाल करते थे, इस उम्मीद में आराम से छोड़ दिया, कि उन्हें गाँव में कहीं और ज़मीन आबंटित की जाएगी। परन्तु जब समिति ने ज़मीन को चिन्हित करना शुरू किया तो दलितों को कोई ज़मीन नहीं दी गई। इसके विपरीत उन्होंने पाया कि उन्हें उस ज़मीन से भी बेदखल कर दिया गया है जिसे वे इस्तेमाल करते आ रहे थे। और इस तरह से उन्हें ज़मीन के इस्तेमाल के पहले के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया।

सरपंच और फूलचंद ने हमें बताया कि प्लॉट इस तरह से काटे गए थे कि वे जाटों के पहले की ज़मीन के साथ साथ हों। इस बात से जाटों की ज़मीन हड़पने की मंशा स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि वे कोई अन्याय नहीं कर रहे थे क्योंकि वे प्रत्येक दलित को भी 100 वर्ग गज ज़मीन दे रहे थे। फूलचंद ने इस बात से इंकार किया कि दलितों से कोई पैसा लिया गया था। उनका कहना था कि दलितों ने शामलात ज़मीन में से उन्हें मिलने वाले प्लॉटों को साफ करने और समतल बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी से पैसा इकट्ठा किया था।

सरपंच ने तर्क दिया कि समिति में दलित और पिछड़ी जातियों के सदस्य भी थे,जो यह साबित करता है कि समिति पूरी तरह से समावेशी और निष्पक्ष थी। सरपंच ने कहा कि दलितों द्वारा उस समय खुशी – खुशी 100 वर्ग गज के प्लॉट को लेना और आज उनके द्वारा शिकायत करना, उनके इरादों के प्रति शक पैदा करता है।

दलित मानते हैं कि वे ज़मीन की मिल्कियत हासिल कर पाने की संभावना से खुश थे और इसलिए उन्होंने आराम से इसके लिए पैसा दे दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने गलती से यह समझ लिया था कि यह सरकारी कार्यक्रम है और उन्हें लगा था कि यह समिति ग्राम पंचायत की समिति है। समिति में दलित और पिछड़ी जातियों के सदस्यों के होने से उन्हें लगा कि समिति विश्वसनीय है।

दलित और पिछड़ी जातियों के लोग अब ज़मीन के इस्तेमाल के अपने अधिकार को पुनः हासिल करने और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए संवैधानिक उपायों

और सरकारी अधिकारियों की ओर देख रहे हैं। शिकायतें लिखने और भेजने का सिलसिला 2011 में शुरू हुआ। सबसे पहले सरपंच, ब्लॉक डवलपमेंट ऑफीसर (बीडीओ) और डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफ़ीसर (डीडीओ) को लिखा गया। सरपंच ने खुले रूप में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया – उसने शिकायत पर कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया – यह स्वाभाविक ही था क्योंकि वह तो ज़मीन के वितरण में बराबरी का दोषी था।

बीडीओ और डीडीओ ने बार बार शिकायत किए जाने के बाद गाँव का दौरा किया। कुमारी शैलजा को लिखे गए पत्र में दलितों ने लिखा था कि इन अफसरों ने उनकी शिकायतों को सही पाया था और आश्वासन दिया था कि दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज़ होंगे और कार्यवाही होगी, परन्तु काई भी कार्यवाही होती हुई दिखाई नहीं दे रही।

इसके बाद जनवरी 2012 से जिला आयुक्त को भी शिकायतें भेजी गईं। विरोध कर रहे लोगों के पास इन शिकायतों की प्राप्ती की प्रतियाँ भी हैं। ये शिकायतें फुटबॉल के मैदान, शामलात ज़मीन पर कब्ज़े, समिति के गैरकानूनी होने और जाटों द्वारा उनसे धोखे से 1000 – 1000 रु. हथियाने के संबंध में हैं।

इसके बाद दलित ग्रामीणों ने अपनी मांगें बढ़ा दीं और उन्होंने समिति के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज़ करने की मांग की। मार्च 2012 से हिसार के पुलिस अधीक्षक को याचिकाएं भेजी गईं, जिनमें उन छः लोगों के नाम दिए गए जो कि समिति बनाने में शामिल थे, और इनके और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज़ करने की मांग की गई।

2. भूमिहीनों को ज़मीन : महात्मा गाँधी ग्रामीण बस्ती योजना

शामलात ज़मीन के गैरकानूनी पुनःवितरण द्वारा, दलितों के इस पर से अधिकार को धोखे से छीनने के अलावा, सरकारी नीति के तहत उनके कानूनी अधिकार से भी उन्हें वंचित किया गया। भूमिहीनों को ज़मीन दिए जाने की एक सरकारी योजना ग्राम पंचायत द्वारा असल में लागू की गई थी। हरियाणा सरकार ने 2008 में महात्मा गाँधी बस्ती योजना नामक एक योजना लागू की थी। इस योजना के तहत सभी बीपीएल, अनुसूचित जातियों और ए श्रेणी की पिछड़ी जातियों के प्रत्येक परिवार को 100 वर्ग गज के प्लॉट रिहायश के लिए दिए जाने थे। भगाना में ग्राम पंचायत ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित कर लिया था। उस समय के सरपंच ने, जो कि एक दलित थे, इस योजना के क्रियान्वन के लिए सक्रियता से काम करना शुरू कर दिया था। एक सर्वे हुआ था, जिसके बाद गाँव के पहचाने गए परिवारों को 222 प्लॉट वितरित किए जाने का निर्णय हुआ था। इस उद्देश्य के लिए 70 एकड़ शामलात ज़मीन इस्तेमाल होनी थी।

परन्तु दलित सरपंच के हटने के बाद योजना का क्रियान्वन बंद हो गया, जबकि इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। मौजूदा सरपंच ने, जो कि जाट है, इस बात से इंकार किया। स्थिति की असलियत का पता इससे लगाया जा सकता है कि आज तक 222 में से केवल 48 प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई है। उन पर भी कब्ज़ा नहीं दिया गया है। प्रमाण पत्रों (सर्टिफिकेट) को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि रजिस्ट्रेशन मार्च 2012 में ही हुआ है। इन प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन और कब्ज़ा , विरोध करने वालों की मांगों में से एक मांग है। यह साफ है कि जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वे भी दलितों द्वारा पिछले कुछ महीनों में बार बार प्रशासन के पास शिकायतें करने से बनने वाले दबाव के कारण ही हुए हैं।

घटनाक्रम से पता चलता है कि सरकार द्वारा महात्मा गाँधी बस्ती विकास योजना के तहत वितरण के लिए शामलात ज़मीन लिए जाने और शामलात ज़मीन को गाँव वालों के बीच बांटे जाने के बाद के फैसले के बीच एक संबंध को है। जो कि यह बताता है कि बाद का फैसला जाटों द्वारा ऐसी योजनाओं के कारण बाकी की ज़मीन से हाथ धो बैठने के डर से लिया गया था।

3. ज़मीन और सामाजिक स्थल

क) खेल का मैदान

शामलात ज़मीन के हथियाए जाने और वितरण से न केवल ज़िंदगी और जीविका के सवाल खड़े हुए, बल्कि इससे दलितों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन और गाँव के निवासियों के रूप में उनके दावे पर भी असर पड़ा। ज़मीन का एक हिस्सा, जिसे दलितों के बच्चों ने अपने खेल के मैदान के रूप में विकसित किया था, इस वितरण की बली चढ़ गया। ऊँची जातियों के बच्चे स्कूल के खेल के मैदान पर दलितों के बच्चों को नहीं खेलने देते हैं। इसलिए दलित बच्चों ने पहल करके और गाँव के दलित परिवारों ने चंदा इकट्ठा करके इस खेल के मैदान की सीमाओं पर पेड़ लगाए थे। गाँव एक दलित व्यक्ति के अनुसार पिछले सरपंच ने भी इसमें योगदान दिया था। दलितों की शिकायत में कहा गया है कि जाटों ने चारदीवारी तोड़ दी और उनके बच्चों के मैदान में खेलने पर रोक लगा दी। जाटों ने मैदान पर लगे पेड़ भी काट दिए और लकड़ी बेच दी।

दलितों ने इसकी शिकायत विभिन्न सरकारी अधिकारियों से की – उन्होंने सरपंच से शुरू करके बीडीओ, डीडीओ से लेकर एडीसी तक को लिखा। उन्होंने वन विभाग में भी शिकायत की। असल में सबसे पहली शिकायत तो खेल के मैदान के छीने जाने के संबंध में ही थी। दलित और पिछड़ी जातियों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र भी शिकायत के रूप में भेजा गया।

ख) अंबेडकर चौक बनाम जाटों की इज्ज़त

आखिर में मामला चमार चौक नामक ज़मीन के एक तिकोने हिस्से को लेकर हुआ, जो कि दलितों के रविदास चौपाल के पास स्थित है। चमार चौक दलितों के घरों के सामने है। परन्तु

इसके पीछे के खंड में और चौक से होकर जाने वाली सड़क के दूसरी ओर जाटों के घर हैं। पिछले कई सालों से भी ज़्यादा के समय से इस चमार चौक का इस्तेमाल दलित परिवारों द्वारा किया जा रहा था। तीन दलित परिवार जिनके घर इस चौक में खुलते हैं, इसका इस्तेमाल अपने ठेले खड़े करने, मवेशियों को बांधने और अपनी चौपाल पर होने वाली शादियों और अन्य समारोहों और त्यौहारों के लिए करते थे। पिछले कुछ समय से जाट, इन दलित निवासियों को चौक के इस्तेमाल को लेकर कोस रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे कि वे उन्हें इस ज़मीन से बाहर फेंक देंगे। इस तरह से वे यह दावा कर रहे थे कि यह ज़मीन जाटों की है। दलितों ने सरपंच के पास शिकायत की थी, पर उसने इस पर कोई कार्यवाही करने से मना कर दिया।

दलितों ने तय किया कि वे इस चौक पर अपना दावा करेंगे और उन्होंने इसका नाम बदल कर अंबेडकर चौक रख दिया। यह उनके द्वारा अपने दावे पर ज़ोर देने का तरीका था। इसके लिए उन्होंने 2000 में भगाना में बनी अंबेडकर वैलफेयर समिति के तहत बीडीओ के दफ्तर में आवेदन दिया और अन्य अधिकारियों के पास भी अपनी याचिका दायर की। जाटों ने इसका विरोध करने के लिए इस ज़मीन पर अपने हक का दावा करते हुए एसडीएम की अदालत में याचिका दायर की। कोर्ट ने जाटों के दावे को इस आधार पर मान लिया की चौक एक अन्ना पन्ना चौक है – यानी कि दो क्षेत्रों के बीच पड़ता है – यानी कि अन्ना पन्ना जिस पर दो अलग अलग समुदाय, जाट और दलित, रहते हैं। कोर्ट ने ज़मीन को देखभाल के लिए पंचायत को सौंप दिया। जाटों ने इसका अर्थ यह लगाया मानो ज़मीन का अधिकार उन्हें मिल गया हो। उन्होंने इसे घेरने के लिए दीवार बना दी, जिससे उन तीन दलित परिवारों के लिए अपने घर तक पहुंचने का रास्ता एक तरफ्फ से बंद हो गया। जब दलित परिवारों ने इसका विरोध करते हुए डिस्ट्रिक्ट कमिशनर को लिखा तो बीडीओ गाँव में आए और उन्होंने यह आदेश दिया कि इस दीवार को तोड़ा जाए। दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ा तो ज़रूर गया, पर जाटों ने उसे उसी रात फिर से बना दिया। जब हम भगाना गए तो हमने देखा कि दीवार फिर से बनी हुई है, और यह साफ पता चल रहा था कि इसके कुछ हिस्से पहले तोड़ दिए गए थे। एक जाट ने, जिसका घर तीन दलितों के घर के साथ लगा हुआ है, हमसे कहा कि ज़मीन अब कानूनी रूप से उसकी है और जाटों ने जो दीवार बनाई है वह बिल्कुल सही है क्योंकि कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है। उसने कहा कि जिन दलित परिवारों ने चौक के पास घर बनाए हैं असल में वे अतिक्रमण किए हुए हैं और यह तो उसकी उदारता है कि उसने अपनी ज़मीन पर दलित परिवारों को अपने घर बनाने दिए थे। 'अगर मांगते तो और भी दे देते, पर वे तो कोर्ट पहुँच गए।'

इस मुद्दे के बारे में दलितों ने कई एक अधिकारियों को लिखा – जिनमें अनुसूचित जाति/जन जाति आयोग, मुख्य मंत्री, सामाजिक कल्याण मंत्री शामिल हैं। उन्हें थोड़ी सी सफलता ज़रूर मिली जबकि जाटों द्वारा बनाई गई दीवार कम से कम अस्थाई रूप से तो तोड़ी गई।

जहाँ एक ओर दलित संवैधानिक तरीकों से विरोध कर रहे हैं वहीं जाट गैरकानूनी ढंग से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने ऐतिहासिक प्रभुत्व और सत्ता को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस संदर्भ में जिस तरह से शामलात ज़मीन के वितरण के लिए एक छदम संवैधानिक समिति बना दी गई, जिसमें दलित और पिछड़ी जातियों के लोग भी रखे गए, उस पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। समिति ने जिस तरह से काम किया, उसमें उसने संवैधानिक रूप से दलितों को उनका अधिकार दिलाने वाली समिति की नकल की, पर किया असल में उससे बिल्कुल उल्टा – उसने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया।

इस सबके बाद गाँव के जाटों ने दलितों का बहिष्कार करने का निर्णय कर लिया।

बहिष्कार और पलायन : प्रतिरोध, दावेदारी और विवाद

जाट समुदाय हमेशा से ही हरियाणा में सबसे बड़ा समुदाय रहा है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी ये सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। हरियाणा के ज़्यादातर अनुसूचित जातियों के लोग (78 प्रतिशत) गाँवों में रहते हैं। अनुसूचित जातियों में से चमार जाति का प्रतिशत 82.6 है। इसके अलावा 78.5 प्रतिशत धानुक और 73.1 बाल्मीकि गाँवों में रहते हैं। क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर दलित और पिछड़ी जाति के लोग कृषक हैं और साथ ही भूमिहीन भी, इसीलिए उनकी जाटों पर बहुत ज़्यादा आर्थिक निर्भरता भी है। ऐसे में जाट ज़मींदार आज गाँव की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े गैर–सरकारी नियोक्ता बने हुए हैं।

जाटों का प्रभुत्व परंपरागत रूप से खाप पंचायतों जैसी सामुदायिक संस्थानों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। आज भी संवैधानिक तौर पर गठित ग्राम पंचायतें, खाप पंचायतों की जगह नहीं ले पायी हैं।

खाप पंचायतें जो कि सामाजिक जीवन के बारे में निर्देश जारी करती रहती हैं, ज़्यादातर जाटों द्वारा ही संचालित हैं और उन्हीं के वर्चस्व को बढ़ाने में सहयोग भी करती आई हैं। यही ढांचें यह भी तय कर चुके हैं कि अगर प्रतिरोध होगा भी तो किसके द्वारा और कब तक।

एक गैर कानूनी समिति द्वारा ज़मीन का आवंटन करना न केवल जाटों के प्रभुत्व को बनाए रखता है पर साथ ही उसको और मजबूत भी करता है। जाटों द्वारा खुद को शामलात ज़मीन का हक प्रदान करना और साथ ही दलितों को उस ज़मीन के प्रयोग से वंचित करना यह दर्शाता है कि उनका गाँव की मशीनरी पर कितना नियंत्रण है।

खेल मैदान और चौक पर हुआ झगड़ा एक प्रकार से जाटों द्वारा यह जतलाने की कोशिश थी कि दलित, गाँव में एक समान भागीदारी नहीं रख सकते और वे कभी भी जाटों कि उदारता के बिना अपना जीवन नहीं बिता सकते। और इस इतिहास के संदर्भ में दलितों द्वारा गाँव के स्थानों पर दावा करने, सार्वजनिक रूप से चौक को अम्बेडकर चौक नाम देने, ग्राम पंचायत के मनमानी का विरोध करने के लिए सरकारी तरीके चुनने, और इस ज़मीन वितरण के फरेब में जाटों का साथ न देने पर, जाट समुदाय स्वयं को असुरक्षित और संकट में पाने लगा। ऐसे में जाटों ने एक आक्रामक और प्रतिरोधी कदम उठाया – दलितों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार या 'बंधी' – यह एक प्रकार से अपनी जाति के प्रभुत्व की पुनः दावेदारी थी।

1. बहिष्कार :

हिसार सचिवालय के सामने विरोध में बैठीं महिलाओं के समूह ने हमें बताया कि आखिर इस बार के जाति उत्पीड़न में ऐसा क्या था जिसके कारण उन्हें गाँव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पिछले चार महीनों से दलित अपने ही गाँव में सामाजिक बहिष्कार यानी बंधी का सामना कर रहे थे। जाटों ने दबंगियों की एक सभा बुलाई जहाँ यह फैसला लिया गया। एक चेतावनी भी जारी की गयी कि अगर किसी ने इस बहिष्कार का उल्लंघन किया तो उस पर 2,000 रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को खेतों में काम देना बंद कर दिया गया। महिलाओं ने बताया कि किस प्रकार उन पर न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी आक्रमण किये जाते थे। दलितों को 'डेह' कहकर संबोधित किया जाता था। जिन नलों से दलित पानी भरते थे, उन्हें जाटों द्वारा तोड़ दिया गया। दलितों के घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगा दी गयी और तो और शौच के लिए भी बाहर निकलना दुलर्भ हो गया था। ग्राम पंचायत की ज़मीन जो पहले दलितों द्वारा गोबर डालने और जानवर दफनाने के लिए प्रयोग की जाती थी, अब उन्हें उपलब्ध नहीं थी। गाँव में आने वाली एकमात्र महिला चिकित्सक जो कि जाट समुदाय से ही है, अब अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लोगों का इलाज करने से मना करने लगी थीं, और अगर इलाज करती भी थीं, तो बहुत ज़्यादा फीस की मांग करने लगी थीं। जाटों ने दलितों को समान बेचना भी बंद कर दिया था और उनके लिए सार्वजनिक परिवहन में आना–जाना भी वर्जित कर दिया था। एक जाट महिला पंचायत सदस्य ने इस बात की पुष्टि की कि किस तरह जाटों ने दलितों का गाँव में रहना असंभव कर दिया था।

हमें यह भी पता चला कि दलितों ने इस सब के बारे में प्रशासन को भी लिखा था। अपनी शिकयात में उन्होंने लिखा था कि किस प्रकार जाटों ने उनके घरों में घुसकर महिलाओं को धमकाया और कहा कि जिस ज़मीन पर उनका घर खड़ा है वह जाटों की है, और वे कभी भी दलितों को वहाँ से उठाकर फेंक सकते हैं। साथ ही एक दलित युवा कि जाटों द्वारा बुरी तरह पिटाई के बारे में भी लिखा गया था। एक दलित युवक को प्रताड़ित कर के उसका गला दबाकर मारने की भी कोशिश के बारे में भी एक शिकायत की गई। इस युवक को जान से मारने की धमकी दी गई थी और कहा गया था हिसार ही में मिर्चपुर में हुए नरसंहार में दलितों के हश्र को याद रखे। डर के मारे वह युवक वहाँ से भाग निकला था। हमारे दल ने युवक का मेडिकल प्रमाण पत्र भी देखा जिसमें उसके गले और हाथ पैरों पर खरोंचों के निशान और गाल पर सूजन दर्ज़ थी।

इस बहिष्कार का एक सुस्पष्ट आर्थिक पहलू भी है। जिला आयुक्त को लिखे गए एक पत्र में बताया गया है कि जाटों द्वारा दलितों को अब काम देना भी रोक दिया गया है। साथ ही मनरेगा के रुकने से परेशानियाँ बढ़ गयी थीं। उनके सिर पर दाल–रोटी का संकट आ गया था।

2. दलितों की प्रतिक्रिया और उलट दावेदारी : बहिर्गमन और प्रतिरोध

जब 70 परिवारों ने एक साथ भगाना गाँव छोड़ दिया, तब और लोगों में यह धारणा फैलने लगी की दलितों ने जाटों द्वारा दी जा रही प्रताड़ना को रोकने में असमर्थ होने और डर के कारण ऐसा किया था। मीडिया द्वारा भी ऐसा दर्शाया गया कि दलितों को जाति के नाम पर हो रहे जुल्मों, अपमान द्वारा ज़बरदस्ती गाँव से निकाला गया हो।

पर मीडिया द्वारा ऐसा किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहिष्कार और उसके बाद हुई घटनाएं सामाजिक और सांस्कृतिक हिंसा का ही प्रतिरूप हैं जो आज भी अपराध और सजा के नाम पर हरियाणा के गाँवों में आम बात है। जैसे, एक जाट के आंगन में रखे मटके से दलित को पानी न पीने देना, दलित दुल्हे को घोड़े पर बैठने न देना, और ये बातें न मानने पर सजा देना जैसे जुर्माना, चप्पलों से पिटाई करना, हाथ काट देना (बाक्स 4 देखें) आदि काफी आम हैं। पिछले कुछ समय में कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनके कारण दलितों और पिछड़ी जातियों को सपरिवार अपने गाँव छोडने पड़े। इनमें से मिर्चपुर में हुई आगजनी और हत्याएं और गोहाना कांड सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। इस सब के चलते भगाना से दलितों का अपना गाँव छोड़ कर जाना, इसी प्रक्रिया का एक परिणाम लगना स्वाभाविक था – यानी कि जाटों द्वारा की गई सामाजिक हिंसा पर दलितों का जवाब। इसीलिये भगाना से दलितों के बहिर्गमन में कोई खास बात नहीं दिखाई दी। समानताओं के बावजूद भी भागना के किस्से में कुछ बातें अलग हैं।

इन दलित परिवारों ने गाँव जातिगत शोषण के चलते नहीं छोड़ा था। ये वे परिवार थे, जो भगाना से हिसार के मिनी सचिवालय तक पदयात्रा करके आए थे और मई माह से वहाँ डेरा लगाकर बैठे थे। इन्होंने दो बार जुलूस भी निकाला, प्रशासन से अपने हकों की मांग की, और दो बार अपने लोगों को गिरफ्तार होते देखकर भी अपने सवालों के जवाबों की मांग करते रहे। वे अब अपने गाँव, ज़मीन और सुविधाओं पर खुद के नियंत्रण की जायज मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुँचे।

यह समझना आवश्यक है कि विरोध कि प्रक्रिया बहिष्कार और सचिवालय पर हुए धरना से बहुत पहले ही शुरू हो गयी थी। 2011 के अंत में दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा प्रशासन को कई पत्र लिखे गए थे। उनमें भी वही मांगें की गई थी। बहिष्कार का विरोध तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में एक नई कड़ी था। यह धरना अनगिनत संवैधानिक विरोध प्रदर्शनों का एक अवश्यसंभावी परिणाम था।

मिनी सचिवालय के बाहर धरना 20 मई 2012 को शुरू हुआ था। जब हम भगाना गाँव गए थे तब हमें सचिवालय के बाहर 150 से 200 लोग धरने पर बैठे हुए मिले थे। कुछ और लोग अपने बच्चों समेत भी पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके कुछ पशु भी वहाँ बंधे थे। हमें बताया गया कि उनके बाकी पशुओं को जब्त कर के एक सरकारी गौशाला में ले जाया जा चुका था।

धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि कुछ परिवार दबाव में आकर गाँव वापस लौट गए थे और कुछ एक नयी शुरूआत करने के लिए दूसरे गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए थे। कुछ लोग जब भी संभव होता, भगाना या अपने रिश्तेदारों के गाँवों से सचिवालय तक संघर्ष में अपना सहयोग देने के लिए आते–जाते रहते थे। कुछ के लिए आर्थिक मजबूरियों के कारण लगातार वहाँ रहना मुश्किल हो गया था।

विरोध का समर्थन कर रहे कई स्थानीय नेताओं समेत 46 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज़ किए गए हैं। एक जूलूस में मुख्य–मंत्री का पुतला जलाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 मई को 20 और विरोधियों को तब गिरफ्तार कर लिया गया, जब वे भगाना के एक दलित युवक, राजकुमार की संदिग्ध हालातों में हुई मृत्यु और पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से कोई भी कार्यवाही न होने पर भगाना के दलित राजधानी पहुँच गए। वे एक महीने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रहे। वे राहुल गांधी से भी मिले, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा जाँच कराने का वादा भी किया। दलितों ने गृह मंत्रालय को ज्ञापन दिया। वे विपक्षी दल के नेता शरद यादव से मिले और उन्होंने अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति (एस.सी.–एस.टी.) आयोग को अर्जी भी लिखी। संक्षिप्त में, उन्होंने हर सरकारी और राजनैतिक दरवाजे पर दस्तक दी। साथ ही मिनी–सचिवालय के बाहर धरना भी जारी रखा। बाद में वे हरियाणा सरकार के इस आश्वासन पर वापस लौट गए कि समस्या का कोई समाधान निकाला जाएगा।

गिरफ्तारियों द्वारा पुलिस प्रताड़ना, पशुओं के जब्त किए जाने, राजद्रोह के आरोप लगने, प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों पर कोई कार्यवाही न किए जाने और बहुत मुश्किल और चुनौती पूर्ण हालातों में अपने घरों से दूर रहने के बावजूद दलितों और पिछड़ी जातियों ने अपना विरोध जारी रखा।

यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस पूरे विरोध को शुरू करने और जारी रखने में स्थानीय बसपा के नेताओं की भूमिका अहम रही है। भगााना के ही एक निवासी वीरेंद्र भगोरिया नामक एक व्यक्ति की भूमिका भी अहम रही है। वीरेन्द्र भगोरिया एक स्थानीय विधायक के करीबी भी माने जाते हैं। सरकार, नेताओं और प्रशासन के साथ हुई बातचीत में वे शुरुआत से ही जुड़े रहे हैं। प्रशासन ने यह कहकर विरोध को बेबुनियाद बताने की कोशिश की कि इसमें बसपा का हाथ है, जो राजनैतिक फायदों के लिए यह सब कर रही है। हालांकि जांच दल ने बसपा की भागीदारी देखी, पर जैसा कि विवाद के मुद्दे दर्शाते हैं, जाटों के दमन के जवाब में जातिवादी दावेदारी इस विरोध से पहले भी होती रही है। वोट की राजनीति, राजनैतिक पार्टियों को ऐसे मुद्दों की तरफ

बॉक्स 2 हरियाणा में जातिगत टकराव की हाल की कुछ घटनाएं				
तारीख	**जगह**	**घटना**	**परिणाम**	**राज्य की प्रतिक्रिया**
अगस्त, 2005	गोहाना, सोनीपत	1000 जाट उपद्रवियों द्वारा एक जाट युवक की दो दलितों द्वारा तथाकथित हथ्या का बदला लेने के लिए 50 घर लूटे और जलाए गए	बहुत सारे दलित (बाल्मिकी) गाँव छोड़ कर भाग गए	पुलिस के कुछ न करने से जाटों को फायदा पहुँचा और जिन 23 के खिलाफ चार्ज शीट दर्ज़ हुई थी उनमें से केवल 4 गिरफ्तार हुए। मुख्य मंत्री का बेटा जाट युवक के दाह संस्कार में शामिल हुआ।
मार्च, 2010	गाँव लधानी, भिवानी	गाँव में घुसने को लेकर दलितों और ऊँची जातियों के लोगों के बीच हिंसात्कम झड़प। एक राजपूत युवक मारा गया।	150 दलित परिवार खाप के बदले के डर से गाँव छोड़ कर भाग गए।	20 दलितों के खिलाफ मामले दर्ज़।
अप्रैल, 2010	गाँव मिर्चपुर, हिसार	एक दलित लड़के द्वारा उसके कुत्ते पर पत्थर फेंके जाने का विरोध करने के बाद भड़की हिंसा में जाट युवकों द्वारा एक घर में आग लगा देने से एक बूढ़े दलित व्यक्ति और उनकी बेटी की मौत हो गई।	घटना के बाद 125 दलित परिवार गाँव छोड़ कर भाग गए।जनवरी 2011 में 11 खाप पंचायतों द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को छुड़वाने के लिए ट्रैफिक रोका गया।	अक्टूबर 2011 में 15 जाटों को सज़ा हुई, 3 को आजीवन कारावास की सजा हुई। दलितों को विशेष कैंपों में रखा गया था वे दिसम्बर 2011 में भी वहीं थे।
मार्च, 2011	गाँव बाटोर, पंचकुला	ग्राम पंचायत द्वारा 400 एकड़ ज़मीन से हासिल किए गए 15 लाख के राजस्व के गलत इस्तेमाल का विरोध कर रहे दलितों पर ऊँची जातियों के लोगों द्वारा अत्याचार।	जो दलित इस विरोध में शामिल थे उन्हें अत्याचारों के चलते गाँव छोड़ना पड़ा।	एफआईआर दर्ज़ हुई पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
जून, 2012	गाँव पूथी, हिसार	26 वर्षीय दलित मनोज को पंचायत ने 11 साल के लिए गाँव से निर्वासित कर दिया। उस पर 21,000 रु. का जुर्माना लगाया गया और उसका चेहरा काला कर दिया गया। उसका गुनाह केवल यह था कि उसने गाँव की एक लड़की से प्यार हो गया था।	मनोज गाँव छोड़ चुका है, पर परिवार वहीं है। उन्हें हिंसा का डर है और वे पुलिस में शिकायत भी दर्ज़ करवा चुके हैं।	पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ की। मनोज को पुलिस का संरक्षण दिया गया है। और गाँव में पुलिस गश्त लगा रही है।

आकर्षित तो करती है, पर इस तरह का निरंतर विरोध जनता की इच्छा और भागीदारी के बिना टिक ही नहीं सकता।

3. सामाजिक प्रतिक्रिया

हमारे साथ गए कार्यकर्त्ताओं ने हमें बताया कि स्थानीय लोग और समूह खुल कर प्रदर्शनकारियों का समर्थन नहीं कर रहे थे। जातिवाद और जाटों का प्रभाव दोनों इतने गहरे हो चुके हैं कि लोग इस मुद्दे से मुँह मोड़ने लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग खाप पंचायतों से उतना नहीं डरते जितना कि वे सरकार और प्रशासन में ऊँचे पदों पर आसीन होने के कारण जाटों के बढ़ते वर्चस्व और उनके राजनैतिक रुतबे से डरने लगे हैं।

हालांकि प्रशासन और समाज ने कोई भी प्रतिक्रिया ज़ाहिर नहीं की, पर हमें यह पता चला की 7 लोगों की एक सर्व–जातीय पंचायत ने आगे बढ़कर इस मुद्दे का समाधान करने की कोशिश की थी। उन्होंने प्रयास किया था की दलितों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन समाप्त हो जाए। पर इस बैठक के दौरान जाट समुदाय के प्रतिनिधि बीच में ही उठकर चले गए। 42 गाँवों की एक महा खाप पंचायत द्वारा भी प्रयास किया गया था। उन्होंने एक 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था जिसके द्वारा जाटों को यह आदेश दिया गया था कि वे चौक पर से दीवार हटा दें और दलितों को उनका मैदान लौटा दें। साथ ही दलितों को उस जगह पर अंबेडकर चौक बनाने की अनुमति दे दी गयी थी। इसी के बाद दीवार गिरा दी गयी थी, पर जैसा कि पहले बताया गया है जाटों ने रातों–रात उस दीवार को फिर से खडा कर दिया था। अब यह जाटों के लिए जाति के प्रभुत्व का मुद्दा बन चुका था। वे दलितों के आगे झुकने वाले नहीं थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि जातिगत विवादों के मामलों में बातचीत के ज़रिए समाधान ढूंढे जाने का यह तरीका, इस क्षेत्र में जाटों की नयी रणनीति का हिस्सा है। वे इस रणनीति का प्रयोग खास तौर पर तब करते हैं जब उन पर शड्यूल कॉस्ट एंड शड्यूल ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी) एक्ट 1989, (एस.सी.–एस.टी. एक्ट) लगाने की संभावाना बढ़ जाती है। यह खापों का दूसरा चेहरा है जो कि अन्यथा वर्चस्व को बचाने के लिए आक्रामक और लड़ाकू गतिविधियों का इस्तेमाल करती हैं, जैसा की मिर्चपुर मामले में हुआ था। इस मामले में भी, समाधान निकालने की आड़ में, असल में जाटों की कोशिश दलितों द्वारा अपने वर्चस्व को चुनौती दिए जाने की परिस्थिति से निपटने की ही है।

हालांकि जाटों ने समझौता करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किये। इसके कई कारण हो सकते हैं : 1) सारे विवाद के दौरान क्योंकि कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई थी इसलिए एससी–एसटी एक्ट लगने की संभावना भी कम थी, 2) इस मुद्दे को, जाति की जगह ज़मीन का मुद्दा बताकर आसानी से नजरंदाज किया जा सकता है जैसा कि सरपंच और अन्य जाटों ने किया 3) दलितों की विवशता ज़ाहिर होने के कारण इसमें यथास्थिति बनी रही जिससे जाटों को और समय मिल गया। आर्थिक सच्चाई के कारण यह ज़ाहिर है कि दलितों का यह आंदोलन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पायेगा।

राज्य की भूमिका और विधि का शासन

भारत के संविधान के अनुसार हमारे कार्यकारी ढांचे का फैलाव ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक है। यह सभी निकाय जनता के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए हैं। भगाना की घटनाओं के संदर्भ में राज्य की सभी एजेंसियों यानी पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक और जिला पुलिस से लेकर राज्य और केन्द्रीय मंत्रियों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया जताई, उससे राज्य और संविधान के जातिवाद और वर्गवादी चरित्र का खुलासा होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, दलित और पिछड़ी जातियों के प्रदर्शनकारियों द्वारा इन्ही संवैधानिक उपायों और सरकारी संस्थाओं से मदद की उम्मीद की गई थी। शिकायतें दर्ज़ करने का सिलसिला 2011 में ही सरपंच, बी.डी.ओ और डी.डी.ओ. से शुरू हो चुका था। सरपंच ने भी खुले रूप से पक्षपाती रुख अपनाया था, उदाहरण के लिए, सरकारी योजनाओं जैसे महात्मा गाँधी बस्ती विकास योजना, और नरेगा के क्रियान्वन में और ज़मीन की नीलामी में। इनमें से प्रत्येक योजना को जो कि भूमिहीनता, मज़दूरी और काश्तकारी के मौजूदा कृषि संबंधों को बदलने के प्रयास का हिस्सा हैं, इस गाँव में विफल कर दिया गया।

जैसा की ऊपर बताया गया है, जनवरी के बाद से ही जिला आयुक्त को शिकायतें भेजी जाने लगी थी। प्रदर्शनकारियों के पास इनकी प्रतिलिपियाँ भी थीं। इनमें में खेल के मैदान, शामलात ज़मीन, अवैध समिति के गठन, जाटों द्वारा प्रत्येक दलित से 1000 रूपए लूट जाने, चौक के बारे में और नरेगा के रुकने आदि से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। इन अर्ज़ियों में दलित औरतों और पुरुषों ने तो हस्ताक्षर किये ही थे, साथ ही इन पर, अपने मैदान के लिए लड़ रहे बच्चों के भी हस्ताक्षर थे, जिन्होंने यह मांग की थी कि उन्हें उनका खेल का मैदान वापस दे दिया जाए।

मार्च 2012 से हिसार के पुलिस अधीक्षक को ऊपर लिखित शिकायतों की अर्जियाँ भेजी गयीं, जिनमें उन छः लोगों के नाम थे जो कि अवैध समिति बनाने में शामिल थे। इनके और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के मांग भी की गई थी। 1 अप्रैल 2012 को ए.डी.सी. को एक पत्र द्वारा सामाजिक बहिष्कार के बारे में बताया गया था। इस पत्र की प्रतिलिपि एस.सी.–एस.टी. आयोग और प्रधान मंत्री को भी भेजी गयी थी।

प्रशासन को लिखी गयी चिट्ठियों की विषयवस्तु और उनकी बढ़ती आवृत्ति से साफ ज़ाहिर होता है कि तनाव और दमन बढ़ रहा था। अधिकारियों की नज़र में यह बात भी लायी गयी कि किस तरह जाटों की बढ़ती आक्रामकता ने कुछ परिवारों को गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और बाकी भी जल्द ही वहाँ से निकलने को बाध्य हो रहे थे।

12 अप्रैल को प्रशासन द्वारा एक और जांच की गयी, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मिनी–सचिवालय के सामने हुए प्रदर्शन और राष्ट्रीय मीडिया द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद ही, जिला आयुक्त अमित कुमार अग्रवाल, इंस्पेक्टर जनरल ए. एस. चावला और पुलिस अधीक्षक अनिल धवन भगाना गाँव गए। एक पुलिस दल गाँव में शान्ति बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया।

उपायुक्त ने बताया कि उनका मुख्य मकसद शान्ति बनाए रखना था। जिसके लिए प्रशासन ने एक 16 सदस्यों की समिति का गठन किया। जांच दल के सदस्यों के वापस आ जाने के बाद इंस्पेक्टर जनरल ने भी घोषित कर दिया कि इस मुद्दे पर बातचीत द्वारा हल करने का प्रयास किया जा रहा है।

मई के आखिरी हफ्ते में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, चंडीगढ़, के एक प्रतिनिधि गाँव आये थे और मिनी–सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे दलित परिवारों से भी मिले थे। वरिष्ठ जाँच–कर्ता आर.के. शर्मा के नेतृत्व में आयोग के दो और सदस्य गाँव में कई वर्गों के लोगों से मिले और उन्होंने उनके बयान भी दर्ज़ किये। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि वे एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और कार्यवाही भी करेंगे। पर 2 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं आई थी।

9 जून को हरियाणा की सामाजिक कल्याण मंत्री गीता शुक्ला दलित प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मिली। उनकी मांगों को जायज मानते हुए, श्रीमती शुक्ला ने उनको प्रदर्शन खत्म करने और गाँव लौटने के लिए मनाने की कोशिश की। पर उनका आश्वासन शब्दों से कार्यवाही में बदलते नहीं दिखा और धरना जारी रखा गया।

केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री कुमारी शैलेजा भी, दलित परिवारों के गाँव छोड़ने के एक महीने बाद, 21 जून को हिसार पहुँचीं। वे जिला अधिकारियों और दलित प्रतिनिधियों से भी मिलीं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने एस.पी. और डी.सी. को निर्देश दिये कि वे इस मुद्दे को सुलझाएं और ग्रामीणों को वापस गाँव भेजें। इन सभी कोशिशों के बाद भी चीजें नहीं सुलझी थी। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि दलित समुदाय को न्याय दिलान प्रशासन को कुछ खास रुचि नहीं है।

अखबारों के अनुसार एस.डी.एम. अमरदीप जैन, ने कहा था कि डी.सी. ने गैरकानूनी ढंग से ज़मीन पर कब्ज़ा किए जाने के मामले में जाँच के लिए आदेश दिया था और अगर कुछ भी गैरकानूनी पाया जाएगा तो उचित कार्यवाही की जाएगी। एस.डी.एम. ने कहा की विवादग्रस्त ग्राम पंचायत की ज़मीन और चमार चौक को सीआरपीसी की धारा 145 के तहत तहसीलदार के संरक्षण में रख दिया गया था। अब इन ज़मीनों पर सरकार की अनुमति के बिना कोई भी गतिविधि वर्जित थी।

प्रशासन द्वारा मुद्दे को जाति विवाद से परे ज़मीन का विवाद दर्शाने की कोशिश की गयी। साथ ही दलितों के बहिष्कार को दलितों की ही गलतफहमी बताकर मुद्दे के

जातिवाद पहलू को छिपाने की कोशिश की गयी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसके गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते थे। डी.सी. अमित कुमार अग्रवाल ने कई अखबारों के जरिये कहा कि मुद्दा जाति का नहीं बल्कि पंचायत की आम ज़मीन संबंधी विवाद का है। जब हमारा जाँच दल एस.पी. से जब मिला तब उन्होंने भी यही दोहराया।

जबकि ज़मीन को लेकर संबंध और ज़मीन और संसाधनों पर नियंत्रण ही जातिगत और वर्ग संबंधों के आधार होते हैं और जबकि वर्ग आधारित संबंध अधिकतर जाति आधारित होते हैं और जबकि ज़्यादातर दलित भूमिहीन हैं, भगाना का विवाद साफ तौर पर जातिगत विवाद है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बहिष्कार या बंधी को एस.सी.–एस.टी एक्ट के अंतर्गत जातिवादि अत्याचार माना जाता है। पर यह एक अलग मुद्दा है कि किस हद तक कानून शोषित वर्ग के लिए प्रभावी है।

विधि का शासन

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव करना अवैध है। इसके बावजूद भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर भेदभाव किया जाता है। 1989 में, संसद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्पीड़न को खत्म किए जाने के उद्देश्य से एक कानून एस. सी.–एस.टी. एक्ट पारित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को अन्य जातियों द्वारा जा रही हिंसा से बचाने के लिए अधिक व्यापक और दंडात्मक अधिकार दिए गए। इस तरह से यह कानून 'कानून के समक्ष बराबरी' और 'बोलने और अभिव्यक्ति' के मौलिक अधिकार को मान्यता देता था जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को असल में नहीं मिले हैं।

यह कानून सख्त सजा की बात करता है और उत्पीड़ित समुदायों और उनके आन्दोलनों को जातिवाद से लड़ने के लिए एक कानूनी हथियार भी प्रदान करता है। यह कानून जाति – उत्पीड़न के सभी पहलुओं को समाग्रहित करता है जो की आम कानूनों में शामिल नहीं हैं। इस कानून के अंतर्गत सामाजिक हिंसा और वंचन को अपराधों की श्रेणी में रखता है। भगाना में लगातार मांग के बावजूद भी एस.सी.–एस.टी. एक्ट के तहत एक भी मामला दर्ज़ नहीं किया गया। हिसार में हाल ही में ऐसी कई वारदातें होने, एक बड़े सामजिक बहिष्कार और दलितों को धमकाये और पीटे जाने के बावजूद पुलिस द्वारा इस कानून के तहत एक भी एफआईआर दर्ज़ नहीं की गयी।

एस.सी.–एस.टी. एक्ट के अनुसार किसी को अपनी ज़मीन, घर या गाँव से बेदखल होने के लिए मजबूर करना, जाति उत्पीड़न माना जाता है (देखें बाक्स 3)। एफआईआर दर्ज़ ना करना भी इस कानून के सैक्शन 4 के अनुसार एक अपराध है। सैक्शन 4 के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस कानून को नियमानुसार लागू नहीं करते, जो उन्हें भी 6 महीने से एक वर्ष की सज़ा हो सकती है। इस कानून के अंतर्गत कम से कम 6 माह की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। और जब अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत भी दंडनीय हो, तो जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है।

दलितों की शिकायतों के आधार पर जो एकमात्र कार्यवाही की गयी है वह सीआरपीसी की धारा 145 के अंतर्गत की गयी है। धारा 145 में ज़मीन या जल से सम्बंधित विवादों की जाँच की प्रणाली का वर्णन है। इतने गंभीर आरोपों के लिए एस.सी. –एस.टी. एक्ट की जगह एक कम प्रभावशाली कानून का प्रयोग करना, यह प्रमाणित करता है कि एक आत्मसंतुष्ट और उदासीन प्रशासन द्वारा किस तरह लोगों को न्याय से वंचित रखा जाता है।

जाटों द्वारा अपने को इस कानून से बचाने के प्रयास यह ज़रूर साबित करते हैं कि एस.सी.–एस.टी., काफी हद तक

बाक्स 4 : शड्यूल कॉस्ट एंड शड्यूल ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी) एक्ट 1989 के तहत सज़ा

एससी–एसटी एक्ट, 1989 के अध्याय 2 का भाग 3(1) अपराध के लिए सजा का वर्णन करता है। अगर कोई भी :

(v) किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को उसकी ज़मीन या घर से बेदखल करता है या उसे उसके ज़मीन, घर या जल के अधिकार से वंचित करता है।

(ix) किसी सरकारी कर्मचारी को गलत जानकारी देता है और जिससे वह सरकारी कर्मचारी अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को हानि पहुँचाने के लिए करता है।

(x) अगर कोई जान बूझ कर अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के उद्देश्य से डराता या अपमानित करता है।

(xv) उसको घर, गाँव या रहने की अन्य जगह छोड़ने पर मजबूर करता है।

तो उसे 6 माह से लेकर 5 वर्षों तक कैद के साथ जुर्माना हो सकता है।

भाग ४ : अगर कोई सरकारी कर्मचारी, जो की अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य न हो, जान बूझ कर इस कानून के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उसको कम से कम 6 माह से एक साल की कैद हो सकती है।

बॉक्स 5 : पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनिल धवन से मुलाकात

जब एएफडीआर और पीयूडीआर का दल हिसार के एसपी से मिला तो उन्होंने इस बात से साफ इन्कार कर दिया कि भगाना में जाटों द्वारा दलितों को प्रताड़ित किए जाने की कोई घटना हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत भेदभाव का मामला प्रशासन का होता है और उस में पुलिस की भागीदारी का कोई आधार नहीं होता।

एसपी ने कहा कि भगाना में जातिगत टकराव का कोई मुद्दा नही है हालांकि ऐसी घटनाएं अनजानी नहीं हैं। पहले आरक्षण और फिर हाल में समान गोत्र में होने वाली शादियों को गैरकानूनी बनाने के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांगों को को लेकर हुए जाटों के आंदोलनों में भी भगाना में शांति बनी रही। इन दोनों विरोधों का उद्देश्य जाटों का प्रभुत्व बनाए रखना था, पर इस बार खाप पंचायतों की विधितर दबाव बना कर नहीं बल्कि कानूनों के द्वारा। इसलिए यह मानना असंभव है कि गाँव के जाट जातिगत दमन के दोषी थे। एसपी साहब ने राय दी कि जाट लोग अपने बोलने और व्यवहार में अशिष्ट होते हैं, जिसका अक्सर गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। परन्तु उनके इरादों पर शक नहीं किया जा सकता।

एसपी के अनुसार सिर्फ कुछ ही प्रदर्शनकारी गाँव छोड़ कर बाहर गए हैं और बहुत से दलित परिवार अभी भी भगाना में रह रहे हैं। बहिष्कार की कहानी मनघढ़ंत है और वैसे शाम होने के बाद केवल मुट्ठी भर प्रदर्शनकारी ही रह गए थे। एसपी का मतलब था कि उन्होंने अपने घर नहीं छोड़े हैं और वे शाम होते होते अपने घरों में चले जाते हैं और फिर सुबह वापस आ जाते हैं। पूरे आंदोलन का कारण कुछ और है। असल में लुके छुपे ढ़ंग से वे यह कहना चाह रहे थे कि इस आंदोलन के पीछे वीरेन्द्र भगोरिया और एक और व्यक्ति का हाथ था जिनके अपने कुछ गुप्त मकसद थे।

एसपी ने सारे मुद्दे का केन्द्र बिन्दु राजकुमार की मौत की ओर मोड़ दिया और दावा किया कि दलित प्रदर्शनकारी असल में इस घटना को लंबे समय से चले आ रहे टकराव से जोड़ कर इसका फायदा उठा रहे हैं। राजकुमार की मौत के बाद जब उसके शव को पुलिस की गाड़ी में हिसार के सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था तो पुलिस को बीच में पड़ना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारी जातिवादी नारे लगा रहे थे और गाड़ी के सामने लेट कर पुलिस के काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। और पुलिस को वहाँ धारा 144 लगानी पड़ी क्योंकि प्रदर्शनकारी जिस जगह प्रदर्शन कर रहे थे वह जगह सरकार की थी। (दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने राजकुमार के शव का अंतिम संस्कार ज़बर्दस्ती उसके पूर्वजों के गाँव तलवंडी में कर दिया। उनका कहना था कि हालांकि उसके पूर्वज तलवंडी के थे उसका परिवार 25 सालों से भगाना में रह रहा था और इसलिए पुलिस का ऐसा करना शक पैदा करता है)।

और तो और एसपी ने भविष्य में जाटों द्वारा की जाने वाली संभावित हिंसा को भी पहले से ही जायज ठहरा दिया। उनका कहना था कि दलितों ने जाट विरोधी जातिवादी नारे लगाए थे और भड़काने वाली भाषा का प्रयोग किया था, 'किसी के खिलाफ' भी ऐसा व्यवहार उसे गुस्सा दिला सकता है। उनके अनुसार जाटों का बदला लेना एक तार्किक परिणाम होगा। परन्तु एक ऑफीसर होने के नाते वे अपनी ड्यूटी कर रह थे और इसलिए उन्होंने जाटों द्वारा दलितों पर संभावित हमले से दलितों को बचाने के लिए भगाना में पुलिस लगा दी थी। जबकि असलियत यह है कि दलितों ने ही अपने लिए ऐसी परिस्थिति बनाई थी जिसमें उन पर हमला हो सकता था।

एसपी की प्रतिक्रिया से राज्य में स्थानीय प्रशासन के बारे में काफी कुछ साफ हो जाता है। एसपी एक खत्री जाति से हैं, जो कि कर्ज़ पर पैसा देने वाली, ज़मींदार जाति है। इसलिए वे यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि जातिगत भेदभाव की दलितों की शिकायत में कोई दम है – उनके अनुसार दलितों का सारा विरोध एक धोखा है। इतना ही नहीं उन्होंने तो यह तक कह डाला कि दलित ही अपने विरोध द्वारा जातिगत तनाव पैदा करने के दोषी हैं। इसलिए इन्होंने जहाँ दलितों द्वारा जाटों के जातिवादी भेदभाव कि शिकायत की व्याख्या जाटों के तौर तरीके के आधार पर कर दी, वहीं दलितों के विरोध ा को जातिगत तनाव पैदा करने वाला बताया, जिसके लिए पुलिस का हस्तक्षेप ज़रूरी था। एसपी ने इन शिकायतों पर मौजूदा कानूनों के आधार पर और दलितों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के हिसाब से, एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह कार्यवाही नहीं की। उनका कार्यवाही न करना और उनके बयान यह साफ करते हैं कि वे खुद दलितों के इस संघर्ष में भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने दलितों की शिकायत पर कार्यवाही इसलिए नहीं की क्योंकि ऐसा करना उन्हें दलितों द्वारा सामाजिक पदक्रम को चुनौती देने में भागीदार बना देता।

समाज में दबाव बनाने प्रभावशाली भी रहा है। सिर्फ सर्व–खाप पंचायत ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी बातचीत के जरिये ही मुद्दे का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पर ध्यान देने की बात है कि भगाना में बातचीत के ज़रिए समस्या को सुलझाने के प्रयास में अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारी से अपनी सभी शिकायतें वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर बातचीत से काम नहीं चलता तो दलित और दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों को शामलात ज़मीन और उनके विरोध को लेकर अपराधी बना कर ऐसा किया जा रहा है।

हिसार के उपायुक्त दलितों को यह कहकर चुप कराने का प्रयास किया की सारा गाँव ही ज़मीन के गैर–कानूनी वितरण में भागीदार था। उनके अनुसार दलितों ने दिसम्बर में तब शिकायतें कीं जब उन्हें एहसास हुआ की उन्हें लूटा जा रहा है और ग्रामसभा की ज़मीन का एक हिस्सा और खेल का मैदान उनसे छीना जा रहा है। गैर–कानूनी गतिविधि को स्वीकार करते हुए और दलितों को दोषी ठहराने के अलावा, इन्होंने गैर–कानूनी समिति के खिलाफ किसी भी कार्यवाही की ओर कोई इशारा नहीं किया, क्योंकि इससे जाटों को नुकसान होगा।

इसके विपरीत प्रदर्शनकारियों पर सारा गुस्सा यह कहकर निकाला गया कि यह जातिवादी उत्पीड़न का मामला नहीं बल्कि केवल एक कानून और व्यवस्था का मामलाप है और इसका कोई सामाजिक और आर्थिक पहलू नहीं हो सकता। 5 जून को जब प्रदर्शनकारियों ने वीरेंद्र भगोरिया के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा के शहर में दौरे के दौरान उनका पुतला जलाने की नाकामयाब कोशिश की, तब 46 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 186, 283, 332, 341 और 353 के तहत मामले दर्ज़ कर दिए गए। ये धारा दंगा करने, जाँच में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों के काम को बाधित करने, और इन कर्मचारियों को हानि पहुँचाने के आरोपों से संबधित हैं। बाद में 6 व्यक्तियों पर धारा 124ए– राजद्रोह भी लगा दिया गया, क्योंकि एक वीडियो में इन्हें सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा और जातिवादी नारे लगाते पाया गया। काफी विरोध होने के बाद राजद्रोह के आरोप उन पर से हटाये गए। बाकी आरोपों के तहत मामले अब भी दर्ज़ हैं। यह घटना दार्शाती है कि राज्य किस प्रकार राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल किसी भी तरह की असहमति से निपटने के लिए कर सकता है। और इस तरह जाटों द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध राष्ट्र के खिलाफ की गयी एक गतिविधि बन जाता है। इस तरह के तरीकों से राज्य की नीयत साफ पता चल जाती है।

20 विरोधियों को जून में आईपीसी धारा 304 और 307 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी वे ज़मानत पर जेल से बाहर हैं। ये लोग राजकुमार की संदिग्ध हालातों में हुई मौत के मामले के संबंध में जाँच के अभाव और पुलिस की संदिग्ध कार्यवाहियों का विरोध कर रहे थे। हम जब राजकुमार के घर गए तो पता चला कि उनका घर शमिलात ज़मीन (ग्राम पंचायत की) पर बना है। उनके घर के ठीक सामने उपले और जानवरों के गोबर पड़े थे। उनकी पत्नी ने हमें शमिलात ज़मीन का वह हिस्सा दिखाया जहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था और जिसकी वजह से उन्हें यह सारा सामान घर के सामने लाना पड़ा था। राजकुमार जाट उत्पीड़न से काफी परेशान थे. कई बार माँग किए जाने के बावजूद, उनकी मौत के संबंध में कोई जांच शुरू नहीं की गई है।

विरोध के बाद डी.सी. ने आईपीसी धारा 144 थोपकर धरने को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की। जो बात एस. पी. अनिल धवन ने हमें 21 जून को बतायी थी वह वही थी कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो "हम" उसके खिलाफ केस करेंगे और एक "निष्पक्ष और न्यायिक" जांच करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी स्पष्ट किए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मामले में प्रशासन की उदासीनता और कार्यवाही दोनों ही हरियाणा के प्रशासन में जाटों को मिलने वाले समर्थन का एक और उदाहरण हैं। जाटों की ताकत इस समर्थन से और अधिक बढ़ती है।

दलितों ने यह भी बताया की पिछले साल आरक्षण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान जाटों ने एक पुलिस चौकी जला दी थी, पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके विपरीत एस.पी. सुभाष यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज़ कर दिया गया था और पुलिस चौकी का स्थान बदलकर 15 किलोमीटर दूर कर दिया गया था।

निष्कर्ष और मांगें

हरियाणा में टकराव की जड़ में है ज़मीन के लिए संघर्ष – भूमि सुधार योजनाएं, आम संपत्ति संसाधनों पर नियंत्रण, इस्तेमाल के अधिकार बनाम मिल्कियत, ज़मीन की मिल्कियत बनाम भूमिहीनता और जिस ज़मीन के लिए वादा किया गया उसका विनियोजन। दलितों को ज़मीन पर अपने हक की जानकारी, ज़मीन दिए जाने के वादे और फिर उससे वंचित करने के लिए ज़मीन के इस्तेमाल के ऐतिहासिक तौर तरीकों को बदलना, ज़मीन के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों को खत्म कर देना, वगैरह मिलजुल कर दलितों के विरोध का कारण बन रहे हैं। अपने इस विरोध के लिए वे सभी उपलब्ध तरीकों और संस्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

भगाना की स्थिति की जांच में हमने पाया कि संस्थान और अधिकार संघर्ष की जगह बन रहे हैं। संवैधानिक ग्राम पंचायत में जाटों का प्रभुत्व है। उनके प्रभुत्व को ऊपरी प्रशासनिक संस्थानों और पदों पर जाटों के बड़ी संख्या में मौजूद होने से बल मिलता है। गहरी पैठी हुई जातिवादी सोच और पदक्रम को अब राज्य के संस्थान और बढ़ावा दे रहे हैं। देशद्रोह के आरोप लगा देना राज्य के उस चेहरे को उजागर करता है जिसमें वह न केवल जातिगत भेदभाव से निपटने में कोताही बरतता है बल्कि अपनी शक्ति और नृशंस कानूनों का इस्तेमाल जातिगत और वर्ग संबंधि असमानता को चुनौती देने वाली हर कोशिश को कुचलने के लिए करता है। और इसलिए जातिगत शोषण के खिलाफ संघर्ष देश के खिलाफ 'असंतोष' बन जाता है!

इस सब के बावजूद भगाना के संघर्ष ने दिखा दिया है कि दलित किस तरह से राज्य के संस्थानों पर दबाव डाल रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं – जैसे कि देशद्रोह के आरोपों का वापस लिया जाना। इस संघर्ष ने दिखाया है कि किस तरह से दलित राज्य और केन्द्रीय राजनैतिक वर्ग को मजबूर कर रहे हैं कि वे उनके अधिकारों की ओर ध्यान दें। रोज़गार के वैकल्पिक मौकों, शिक्षा, राजनैतिक दलों के दखल, सरकारी योजनाओं और कानूनों के कार्यान्वन और अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता का ही यह नतीजा है कि आज दलित भी राज्य के संस्थानों और तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

परन्तु दलितों का यह राजनीतिकरण एक जैसा नहीं है और कई कारकों से प्रभावित होता है – एक महत्वपूर्ण कारक है वर्ग। भगाना में दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों को एक ऐसा हिस्सा भी है जिसने गाँव नहीं छोड़ा और संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। वे तुलनात्मक रूप से अधिक गरीब घरों में से हैं और उनमें मुख्यतः केवल महिलाएं और बच्चे ही हैं। उन लोगों ने हमारे दल से बात भी नहीं की। उनकी चुप्पी का कारण यह है कि वे आर्थिक रूप से पूरी तरह से जाटों पर निर्भर हैं। दूसरी ओर कुछ अन्य दलित परिवारों की चुप्पी का कारण उनका जातिगत पदक्रम में पूरी तरह से फंसा होना है। आप उन लोगों से संघर्ष में शामिल होने की उम्मीद नहीं कर सकते जिनके पेट भी पूरी तरह से नहीं भरे होते और वह भी जब संघर्ष उन लोगों के खिलाफ हो जिनपर इस आधे भरे पेट के लिए उनकी निर्भरता हो। वर्ग के आधार पर बंटे होने से भी किसी आंदोलन की लामबद्धता और राजनीतिकरण पर असर पड़ता है।

दूसरी ओर तुलनात्मक रूप से संपन्न दलित हैं जो कि अपना विरोध प्रकट करने के लिए गाँव में ही रुके रहे। गाँव में जिस व्यक्ति ने हमारा मार्गदर्शन किया वह एक पढ़ा लिखा और बात चीत करन वाला व्यक्ति था। हमें सरपंच के घर ले जाने से भी वह नहीं झिझका जबकि उसे पता था कि ऐसा करने में क्या खतरे हैं। जब हमारे दल ने उसके प्रति चिंता व्यक्त की तो उसने जवाब दिया कि इस कारण से उसे जिन खतरों का सामना करना पड़ सकता है वे उनके द्वारा प्रतिदिन भुगते जा रहे बृहद जातिगत दमन की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने गाँव नहीं छोड़ा क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वह वहीं है।

उनके गाँव न छोड़ने का कारण यह हो सकता है कि उनके पास काफी कुछ ऐसा है जो वे खो सकते हैं, पर ध्यान देने की बात यह है कि इससे वे संघर्ष को लेकर निष्क्रिय नहीं हो गए बल्कि वे विरोध में लगातार सक्रिय हैं। जब हम सरपंच के घर से बाहर निकल रहे थे, सरंपच के साथी उन्हएक तरफ ले गए और अगर वे फिर कभी हमारी तरह के लोगों को सरपंच के घर लाए तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

भगाना का संघर्ष, हरियाणा की बदलती हुई सामाजिक वास्विकताओं का प्रतीक है, जिनमें निचली जातियों द्वारा अपने हकों का दावा करना और ऊपररी जातियों द्वारा उन्हें नकारना जारी है, जिसका अभिज्ञान सामाजिक समूहों, प्रशासन और सरकारों को लेना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट इसी का प्रमाण है।

एएफडीआर और पीयूडीआर मांग करते हैं

1. दोषी जाटों के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत मामले दर्ज़ किए जाएं।
2. दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के सुरक्षित रूप से भगाना में वापस आने का बंदोबस्त किया जाए।
3. शामलात ज़मीन पर ज़मीन के इस्तेमाल के अधिकारों को पुनः स्थापित किया जाए।
4. उस गैरकानूनी समिति के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने शामलात ज़मीन का बंटवारा किया था।
5 महात्मा गाँधी बस्ती विकास योजना के तहत प्लॉटों का पंजीकरण और वितरण तुरंत किया जाए।

मुद्रक :
प्रतियों के लिए :डॉ. मौसुमी बासु, ए 6/1 अदिति अपार्टमेंट, पॉकेट डी, जनक पुरी,नई दिल्ली –58
सहयोग राशि : 15
ई मेल : pudrdelhi@yahoo.com
वेबसाइट : www.pudr.org